

य एवं आवंटन आदेशों के विरुद्ध किसी भी सक्षम न्यायालय में चाराजोही आजदिनांक तक नहीं की है।
बाबदेहन्दागण ने उक्त भूमि को तात्कालीन रिकार्डेड खातेदार काश्तकारों से क्रय किया था एवं कब्जा
प्राप्त किया था। जबबाबदेहन्दागण सदभावी क्रेता है। दिनांक 16.06.2018 को आवेदक संख्या 1 अमर सिंह ने
भूमि खसरा नम्बर 236/91 में जबरन ट्रेक्टर चलाकर हल जोतना शुरू कर दिया। फलस्वरूप अपने
अधिकारों की रक्षार्थ अनावेदक संख्या 3 ने माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में वाद पेश
किया। विवादित भूमि के मौका पर आवेदकगण का कब्जाकाश्त नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदकगण का
प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में नहीं है इस प्रकार
आवेदकगण को अपूर्ण्य क्षति भी कारित नहीं होगी। अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा
खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकलाय की बहस पर
मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस पर मनन करने के पश्चात पाते हैं कि है उक्त
वर्णित भूमि शिवायचक घोषित होने से पूर्व पालाराम पुत्र मोटाराम कौम हरिजन के नाम से दर्ज रिकार्ड थी।
राजस्थान भू0 राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 की धारा 6(3) में प्रावधान किया गया
है कि

“अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की भूमि, जो राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955 की धारा 175 के अधिन राज्य सरकार में निहित हो गयी हो, इन नियमों के
उपबन्धों के अधीन क्रमश अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को ही आवंटित
की जायेगी”

हस्तगत प्रकरण में उक्त भूमि के शिवायचक घोषित होने के बाद उक्त भूमि का आवंटन जाट जाति के
व्यक्ति को कर दिया, जो कि न्यायसंगत नहीं है। उभयपक्षकारान के हक हकूको का निर्णय वाद पत्र में
विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य के आधार पर तय होना। आवेदकगण प्रथम दृष्टया प्रकरण को साबित करने में
सफल रहे। उक्त परिपेक्ष्य में न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण आवेदकगण
के पक्ष में नहीं है, इस कारण सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में नहीं है तथा अपूर्ण्य क्षति भी
आवेदकगण को कारित नहीं होगी। उक्त विवेचन से आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की
धारा 212 आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया
जाता है कि मूल दावा का निस्तारण होने तक ग्राम गढला खुर्द पटवार हल्का गढला कलां की सरहद में
स्थित भूमि खसरा नम्बर 89, 93, 94, 95, 96, 236/91, 238/88, 270/95, 269/95 में मौका एवं
राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

14.9.21
(राम सिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उदयपुरवाटी (सुन्सुनै)

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



14.9.21
(राम सिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (सुन्सुनै)